न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 22 / 2024

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2024 / 47

प्रार्थीगण	अप्रार्थीगण
सदराम पुत्र भारमलजी वगैरह	ठाकराराम पुत्र भारमलजी वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख रजु :– 23.04.2024

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सदराम बिश्नोई उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश कुमार सियाक उपस्थित।
3. अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 6 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :–

दिनांक :– 02.02.2026

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि हम प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 एक ही हिन्दु संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा भारमलजी के पुत्र व पत्नी है। हमारे ग्राम डेडवा में पुश्तैनी खातेदारी भूमि आई हुई है जो प्रथम सर्वे के वक्त प्रभुजी के नाम थी। प्रभुजी के फौत होने पर भारमल व उनके भाईयों को पुश्तैनी रूप से उतराधिकार के रूप में प्राप्त हुई व भारमलजी भी 2001 में फौत हो गये उनके फौत होने पर उनके नाम से अलग से दर्ज भूमि हम प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 के नाम दर्ज हुई जिसके वर्तमान खसरा संख्या 420, 659, 107, 702 रकबा क्रमशः 0.29, 0.15, 0.60, 0.51 जुमले रकबा 1.55 हैक्टेयर भूमि हम भारमलजी के परिवार पुश्तैनी भूमि है जो हम प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वादग्रस्त आराजी में अभी मैं किशनाराम, सदराम व भगवानाराम तीनों समान रूप से उपयोग व उपभोग कर रहे है। ठाकराराम व जमना देवी का हम पालन पोषण कर रहे है परन्तु भगवानाराम के मन में अतिरिक्त लोभ पैदा हो जाने से व हक हड़प करने की भावना होने से यह वाद वादग्रस्त भूमि में संरक्षित किये जाने के लिए पेश करने की नौबत पैदा हुई है। वादग्रस्त आराजी में खातेदार जमना जो अचेतन अवस्था में है फिर भी उसका हक अपने पक्ष में हस्तांतरण करवाने हेतु आमादा होने पर यदि उसे समय पर नहीं रोक गया तो गलत ढंग से जमना का हक अप्रार्थीगण भगवानाराम अपने पुत्रों के नाम करवा लेगा जिससे हमें भारी नुकसान होगा। प्रार्थना पत्र की तीन मूलभूत आधार बिन्दू प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का संतुन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर गौर किया जाये तो तीनों आधार बिन्दु हम प्रार्थीगण के पक्ष के है क्योंकि प्रथम दृष्टया यह भूमि पुश्तैनी है तथा खातेदार भूरा नाऔलाद फौत हो गये

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

है व जमना अचेतन अवस्था में है। ऐसी स्थिति में अचेतन अवस्था में होते हुए भी उसका हक हस्तांतरित किया जाता है तो हमारे साथ अपूरणीय क्षति होगी हम इस भूमि पर सहज शांतिपूर्ण काबिज है। इसलिए सुविधा का संतुलन भी हमारे पक्ष में हैं अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम डेडवा के खेत खसरा संख्या 420, 659, 701, 702 जुमले रकबा 1.55 हैक्टेयर का ताफैसला मूलवाद किसी तरह का कोई हस्तांतरण नहीं करे न ही किसी से करावे। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें।

अप्रार्थीगण संख्या 4 लगायत 6 बावजूद तामील (सूचना) के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा डेडवा, पटवार हल्का जाखल, तहसील–सांचौर के खेत खसरा नंबर 420, 659, 107, 702 रकबा क्रमशः 0.29, 0.15, 0.60, 0.51 जुमले रकबा 1.55 हैक्टेयर भूमि पर अप्रार्थीगण किसी प्रकार का हस्तांतरण नहीं करे एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, **आर.ए.एस**)
सहायक कलक्टर, सांचौर एवं
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

निर्णय आज दिनांक **02.02.2026** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर, सांचौर एवं
उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर
सत्यमेव जयते
जिला जालोर